

कार्य का नाम - आमणी से गडाकीव तक मोटर-मार्ग के
 नव निर्माण हेतु तरदीक किया जाता है,
 उपरोक्त मोटर-मार्ग के हस्तान्तरण से क्षतिपूर्ति
 वृक्षारोपण हेतु खसरा न० 2430 खतौनी खाता स०
 100 ; वर्ग 9(3) ड० उत्तराखण्ड सरकार के नाम
 दर्ज है, उपरोक्त खसरा न० पर वन विभाग द्वारा
 वृक्षारोपण किया जा सकता है,
 उक्त भूमि पर वृक्षारोपण करने में कोई छापत्ति
 नहीं है,


 खतौनी खाता
 न० 2430-खसरा न०
 100 ; वर्ग 9(3) ड०